

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोलीवाड़ा में  
पेशा हुई। वादी गण सं० १ व ४ उपस्थित। वादी गण

राजस्व लोक अदालत की भावना से जरिये विद्रोह  
के राजीनामा करना चाहते हैं। वादी गण के वकील  
श्री दिनेश जोशी ने प्रा० पत्र पेश कर निवेदन  
किया कि प्रकरण का वादी गण चलाना नहीं चाहते  
क्यों कि प्रतिवादी सं० २, ३, ४ ने काद गस्त अर्फी  
पायू सिंह के बेचात कर दी थी वादी सं० ४ ने  
पायू सिंह से उक्त अर्फी ख़ुश कर ली है जिससे  
बोधना के वाद को चलाने का कोई मौचित्य नहीं  
है। वादी को वाद जरिये विद्रोह खारिज किया  
जाना आवश्यक है।

Joshi

नम्वर लिखें

अतः वादी गणों द्वारा वाद को  
विद्रोह किये जाने से पत्रावली कैम्प सल शुमार  
होकर नम्वर से कप्त हो।

निर्णय आज दिनांक १/५/१८ को  
राजस्व लोक अदालत कोलीवाड़ा में सुनाया गया।